भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या– †1625

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

जनजातीय समुदाय के लिए शुरू की गई परियोजनाएं

†1625. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में जनजातीय समुदाय से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम/ परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में जनजातीय समुदाय के समावेशी और सतत् विकास की दिशा में कार्य करने के संबंध में विभिन्न हितधारकों और राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न हितधारकों और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, शिक्षा, आवास आदि में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई/की जा रही विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। चौथा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से 26 नवंबर, 2024 तक मनाया गया था। इसके अलावा, सरकार द्वारा 15 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2025 तक की अवधि को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाने को मंजूरी दी गई है, जिसका समापन 15 नवंबर, 2025 को 150वीं वर्षगांठ समारोह के रूप में होगा।

(ख): वर्ष 2023-24 के दौरान, 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में पीवीटीजी/पीवीटीजी बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। इसके अलावा, पीवीटीजी आबादी को सरकार

की अन्य पहलों/योजनाओं, जैसे आधार नामांकन, पीएम-जनधन नामांकन आदि से लाभान्वित करने के लिए आईईसी अभियान और लाभार्थी संतृप्ति शिविर भी चलाए जा रहे हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर, 2024 को शुरू किया गया था। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) मिशन के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8 प्रमुख क्षेत्रीय मंत्रालयों/विभागों और उनके समकक्ष विभागों के साथ आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए 15 दिसंबर, 2023 को मंथन शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, बिजली और जनजातीय आजीविका एवं बुनियादी ढांचे पर 8 क्षेत्रीय कार्यशालाएं शामिल थीं। इसके अलावा, मंत्रालय की चल रही योजनाओं की प्रगति और विजन 2047 के भाग के रूप में प्रस्तावित नई पहलों की समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कल्याण विभागों के साथ 18 और 19 जुलाई, 2024 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर चर्चा करने के लिए 17 संबंधित मंत्रालयों के साथ 27.09.2024 को एक और मंथन शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में मिशन के तहत विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर क्षेत्रीय कार्यशालाएँ भी शामिल थीं।

(ङ): सरकार अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 40 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** के अनुसार है।

अनुलग्नक-I

"जनजातीय समुदाय के लिए शुरू की गई परियोजनाएं" के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा दिनांक 05.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1625 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों सहित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन):

सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है। इस मिशन में 9 मंत्रालय/विभाग और 11 उपाय शामिल हैं।

(ii) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) /प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई): सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' नाम से 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' की पिछली योजना को नया रूप दिया है, जिसका उद्देश्य लगभग 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40%) की आबादी को कवर करने वाली महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों का एकीकृत विकास करना है। इसमें कम से कम 50% जनजातीय आबादी और अधिसूचित अजजा वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 500 अजजा वाले 36,428 गांवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करना है। मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए मिशन अंत्योदय डेटा का विश्लेषण किया है और पीएमएएजीवाई के तहत कवर किए जाने वाले 50% अ.ज.जा. आबादी और 500 अ.ज.जा. वाले 36,428 गांवों की पहचान की है। जनजातीय उपयोजना आवंटन के आधार पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रासंगिक योजनाओं की पहचान की गई है। राज्यों को राज्य टीएसपी निधि, जिला खनिज निधि (डीएमएफ) और वित्त आयोग अनुदान के साथ पूरक के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। पीएमएएजीवाई के तहत, प्रशासनिक खर्चों सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतर-भरण' (गैप-फिलिंग) के रूप में प्रति गांव 20.38 लाख रुपये मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(iii) **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** 2 अक्टूबर, 2024 को शुरू किया गया। अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का परिव्यय 79000 करोड़ रुपये से अधिक है। अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

(iv) प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं, यानी "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" तथा "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है। योजना के दिशानिर्देश 27 मार्च, 2023 को अधिसूचित किए गए थे।

इस योजना में 87 एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष एमएफपी मद के मौजूदा बाजार मूल्य के निर्धारित एमएसपी से नीचे गिरने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन संचालन नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि टिकाऊ संग्रह, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास, एमएफपी के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार सूचना विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। वनधन विकास केंद्र, जिसमें 20 सदस्यों वाले 15 स्वयं सहायता समूह शामिल हैं (प्रत्येक वनधन विकास केंद्र में अधिकतम 300 सदस्य) स्वीकृत किए गए हैं और उन्हें प्रशिक्षण, टूलकिट की खरीद और संचालन उद्देश्यों के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इससे इन वनधन विकास केंद्रों को संचालन शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, ट्राइब्स इंडिया नामक आउटलेट की एक श्रृंखला के माध्यम से जनजातीय उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राइफेड द्वारा विपणन सहायता प्रदान की जाती है।

(v) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) वर्ष 1997-98 में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मिडिल (उच्च प्राथमिक) और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे उच्च तथा व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठा सकें और सरकारी एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नौकरियां प्राप्त कर सकें। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 अजजा व्यक्तियों वाला प्रत्येक ब्लॉक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए पात्र होगा। कुल 740 ईएमआरएस स्थापित किए जाने हैं। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होंगे और इनमें खेल तथा कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

(vi) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान अनुसूचित जनजातियों के विकास और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए है। कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में अजजा आबादी वाले राज्यों को प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार की ओर से 27 राज्यों को 100% वार्षिक अनुदान है। इसे भारत की संचित निधि (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान को छोड़कर, एक स्वीकृत मद) से लिया जाता है और यह राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक योगज है।

(vii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता: इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच को बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों के

प्रयासों के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को भरना और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से अजजा के सामाजिक-आर्थिक विकास या आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव डालने वाली किसी अन्य गतिविधि पर भी विचार किया जा सकता है। यह योजना मांग-आधारित है और गैर-सरकारी संगठनों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत अनुशंसित एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर अनुदान प्रदान किया जाता है। कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा लड़कियों के बीच शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य सामान्य महिला आबादी और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर को पाटना है और यह विशेष रूप से अजजा लड़कियों के लिए है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX तथा X): यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह एक खुली (ओपन-एंडेड) योजना है जिसमें कक्षा IX और X में पढ़ने वाले सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र शामिल हैं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। भारत सरकार का अंशदान 75% और राज्य का अंशदान 25% है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का अंशदान 90% और राज्य सरकार का अंशदान 10% है। बिना विधानमंडल वाले अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का अंशदान 100% है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर): यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह एक खुली (ओपन-एंडेड) योजना है, जिसमें ग्यारहवीं कक्षा और उससे ऊपर के सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र शामिल हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। भारत सरकार का योगदान 75% और राज्य सरकार का योगदान 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का योगदान 90% और राज्य का योगदान 10% है। बिना विधान सभा वाले अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का योगदान 100% है।

(x) अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत, मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को शीर्ष 1000 रैंक वाले (नवीनतम क्यूएस विश्व रैंकिंग के अनुसार) विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह योजना विदेश में भारतीय दूतावासों/मिशनों, विदेश मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। प्रत्येक वर्ष बीस छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। योजना के तहत अजजा छात्र जिनकी पारिवारिक आय 6.0 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(xi) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (पहले उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जानी जाती थी): इस योजना के तहत चयनित उच्च श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सभी अजजा छात्र जिनके

माता-पिता की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं है और मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ऐसे 252 संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है जिसमें मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। हर साल पीएचडी के लिए नई अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या 750 होगी। 36 वर्ष की आयु तक मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने वाले अजजा छात्र इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अध्येतावृत्ति का मूल्य यूजीसी दरों के बराबर है।

(xii) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के लिए जनजातीय त्यौहार यात्राओं के आयोजन और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जनजातीय लोगों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं के आयोजन में मजबूती लाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता, के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है, ताकि जनजातीय संस्कृति, प्रथाओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके।

(xiii) जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई):

'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)' योजना का उद्देश्य समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सूचना का प्रसार और जागरूकता पैदा करना है, जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य महोत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और फोटो प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालने वाले प्रकाशन, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य विभागों की उपलब्धियों के अलावा नियमित अंतराल पर अन्य आवश्यक प्रचार शामिल हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, संघ/राज्य/संघ शासित प्रदेशों के संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, गैर-लाभकारी निजी संगठनों और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह परिकल्पना की गई है कि ऐसे संगठन ज्ञान बैंक के निर्माण और संघ और राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के प्रयासों को पूरक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

*****